नम्बर व तारीख अहकाम जो हुए हुक्म की तामील जारी हुए

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज०)

राजस्व लोक अदालत–न्याय आपके द्वार 2017

पीठासीन अधिकारीः–श्री साधुराम जाट, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः– 17/15 वाद पत्र

उनवान

1–मांगु आत्मज छोगा गुर्जर निवासी गलवा । चावण्डखेडा। तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा(राज.)

वादी

बनाम

1–सोहनलाल आत्मज पोखर बलाई निवासी चावण्डखेडा । गलवा। तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

प्रतिवादी

वाद पत्र अंतर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित

1. हरिश टेलर – अधिवक्ता वादी

निर्णय

दिनांक 19.06.2017

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार केम्प गलवा में पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम गलवा तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में वादी के कब्जे काश्त एवं खातेदारी अधिकारों की आराजी संख्या 706 रकबा 0.13 है0, 717 रकबा 0.78 है0, 719 रकबा 0.59 है0, 720 रकबा 0.41 है0, 802 रकबा 0.23 है0, 999 रकबा 1.08 है0, 1000 रकबा 4.26 है0, 1001 रकबा 0.84 है0, 1003 रकबा 0. 63 है0, 1015 रकबा 0.28 है0, 1044 रकबा 0.36 है0, 1096 रकबा 0.15 है0 गै0मु0 चाह, 1255 रकबा 0.21 है0, 1260 रकबा 0.17 है0, 1273 रकबा 0.31 है0 कुल किता 15 कुल रकबा 10.41 है0 भूमि स्थित है तथा उक्त वर्णित भूमि ग्राम गलवा के राजस्व खाता संख्या 239 मे वादी के नाम राजस्व रेकार्ड मे दर्ज है। प्रमाण मे नकल जमाबंदी संवत 2066 से 2069 तक मय नक्शा ट्रेस साथ प्रस्तुत है। उक्त वर्णित आराजियात वादी के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की होकर मेरी पुश्तेनी भूमियां है। उक्त वर्णित भूमियो से प्रतिवादी सोहनलाल या अन्य किसी भी व्यक्ति को कोई लेना देना नही है तथा न ही प्रतिवादी या अन्य किसी व्यक्ति को कोई हक व अधिकार ही है किन्तु प्रतिवादी वादी की उक्त वर्णित आराजियात मे अपना नाजायज हक जताना चाहता है । जिससे आये दिन उक्त वर्णित आराजियात मे से वादी की आराजी संख्या 1000 रकबा 4.26 है0 भूमि पर प्रतिवादी सोहनलाल आता है और वादी को बार बार गाली गलोच करता है और भूमि छोडने बाबत वादी को कहता है जब कि न तो यह भूमिया प्रतिवादी की है, न कभी रही है, वर्षो पूर्व से उक्त वर्णित भूमियां वादी के नाम पर ही खातेदारी हक से दर्ज चली आ रही है तथा वादी ही उक्त वर्णित भूमियों पर परिवार सहित काश्त करता चला आ रहा है तथा काश्त कर उपज का लाभ लेता चला आ रहा है। दिनांक : 12.02.2015 को प्रतिवादी सोहनलाल अपने हाथ मे कुल्हाडी लेकर वादी की आराजी संख्या 1000 रकबा 4.26 है0 भूमि मे अनाधिकृत रूप से प्रविष्ट हो गया और वादी और मेरी पत्नि उक्त आराजी पर थे तो हमारे को मारने दोडा, जिसकी रिपोर्ट हमने दिनांक : 13.02.2015 को थाना रायपुर पर दी, उसके बाद दिनांक : 19.02.2015 को फिर प्रतिवादी मुझ वादी की उक्त आराजी पर आया व फिर गाली गलोच की व कुल्हाडी लेकर मारने दोडा तथा मुझ वादी को धमकी दी कि उक्त जमीन तुमने नही छोडी तो तुम्हे एस.सी./एस. टी. के झूठे मुकदमे मे फंसा दूंगा और तुम्हारा बदला लूंगा। उंसकी रिपोर्ट भी मुझ वादी ने थाना रायपुर पर दी,

2

जिस पर पुलिस थाना रायपुर द्वारा प्रतिवादी को गिरफतार कर पाबन्दी की कार्यवाही कराई। इस प्रकार प्रतिवादी मुझ वादी की उक्त वर्णित आराजियात पर नाजायज कब्जा कर हक जताना चाहता है तथा आये दिन मेरी उक्त वर्णित आराजियात मे मेरे द्वारा की जा रही काश्त मे नाजायज दखलंदाजी करता है। जिससे उंसके विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा कि डिक्री जारी फरमाई जाना न्यायोचित है। प्रतिवादी सोहनलाल अपराधी किस्म का व्यक्ति है और आये दिन उच्च अधिकारियों को व सरकार को झूंठी झूठी रिपोर्ट भेजता है और कई बार इनकी जांचे भी हो चुकी है और उन रिपोर्टो मे वह स्वयं झूंठा पाया फिर भी वह अपनी आदतो से बाज नही आ रहा है तथा जबरन ताकत के बल पर मुझ वादी की उक्त वर्णित आराजियात मे नाजायज दखलंदाजी करने एवं मुझ वादी को बेदखल करने की गरज से अनाधिकृत प्रवेश कर मुझ वादी को नुकसान पहुंचाना चाहता है जिससे भी प्रतिवादी के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री जारी फरमाई जाना आवश्यक हो गया है। बिनाय वाद दिनांक : 12.02.2015, 19.02.2015 को प्रतिवादी द्वारा मुझ वादी की उक्त वर्णित आराजियात मे कुल्हाडी लेकर अनाधिकृत प्रविष्ट होने एवं मुझ वादी व मेरी पत्नि को मारने दौडने से उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है और यह वाद पत्र अन्दर अवधि प्रस्तुत है।

प्रस्तुत वाद पत्र के आधार पर प्रकरण दिनांक 13.04.2015 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को नोटिस जारी किया गया। नोटिस की पालना मे प्रतिवादी बावजुद सूचना के उपस्थित नही होने से उनके खिलाफ एक तरफा कार्यवाही की गई। राजस्व लोक अदालत मे भी नोटिस जारी किया गया। वादी के अधिवक्ता द्वारा शपथ पत्र पर बयान पी.डबल्यू एक मांगू पिता छोगा गुर्जर निवासी गलवा (चांवण्डखेडा) के पेश किये जो शामिल पत्रावली किये गये।

मैने पत्रावली का अवलोकन किया तथा एकतरफा बहस सुनी गयी तथा बहस पर मनन किया गया। ग्राम गलवा तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में वादी के कब्जे काश्त एवं खातेदारी अधिकारों की आराजी संख्या 706 रकबा 0.13 है0, 717 रकबा 0.78 है0, 719 रकबा 0.59 है0, 720 रकबा 0.41 है0, 802 रकबा 0. 23 है0, 999 रकबा 1.08 है0, 1000 रकबा 4.26 है0, 1001 रकबा 0.84 है0, 1003 रकबा 0.63 है0, 1015 रकबा 0.28 है0, 1044 रकबा 0.36 है0, 1096 रकबा 0.15 है0 गै0मु0 चाह, 1255 रकबा 0.21 है0, 1260 रकबा 0.17 है0, 1273 रकबा 0.31 है0 कुल किता 15 कुल रकबा 10.41 है0 भूमि स्थित है तथा उक्त वर्णित भूमि ग्राम गलवा के राजस्व खाता संख्या 239 मे वादी के नाम राजस्व रेकार्ड मे दर्ज है। वादी के कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजियात मे प्रतिवादी किसी प्रकार कि नाजायज दखलंदाजी न तो स्वयं करे न किसी अन्य से करावे तथा वादी के शांति पूर्वक कब्जे काश्त मे किसी प्रकार का व्यवधान / बाधा उत्पन्न न तो स्वयं करे न किसी अन्य से कारावें तथा कब्जे काश्त कि आराजियात से जबरन ताकत के बल पर बेदखल नही करे न अन्य से करावे। इस आशय कि स्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध प्रतिवादी जारी कि जाती है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी अपने वाद पत्र को सिद्ध कराने मे सफल रहने के कारण वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझता हूँ। अतः

आदेश

ग्राम गलवा तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में वादी के कब्जे काश्त एवं खातेदारी अधिकारों की आराजी संख्या 706 रकबा 0.13 है0, 717 रकबा 0.78 है0, 719 रकबा 0.59 है0, 720 रकबा 0.41 है0, 802 रकबा 0.23 है0, 999 रकबा 1.08 है0, 1000 रकबा 4.26 है0, 1001 रकबा 0.84 है0, 1003 रकबा 0.63 है0,

1015 रकबा 0.28 है0, 1044 रकबा 0.36 है0, 1096 रकबा 0.15 है0 गै0मु0 चाह, 1255 रकबा 0.21 है0, 1260 रकबा 0.17 है0, 1273 रकबा 0.31 है0 कुल किता 15 कुल रकबा 10.41 है0 भूमि स्थित है तथा उक्त वर्णित भूमि ग्राम गलवा के राजस्व खाता संख्या 239 मे वादी के नाम राजस्व रेकार्ड मे दर्ज है। वादी के कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजियात मे प्रतिवादी किसी प्रकार कि नाजायज दखलंदाजी न तो स्वयं करे न किसी अन्य से करावे तथा वादी के शांति पूर्वक कब्जे काश्त मे किसी प्रकार का व्यवधान / बाधा उत्पन्न न तो स्वयं करे न किसी अन्य से करावें तथा कब्जे काश्त कि आराजियात से जबरन ताकत के बल पर बेदखल नही करे न अन्य से करावे। इस आशय कि स्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध प्रतिवादी जारी कि जाती है। डिक्री पर्चा जारी हो।

साधुराम जाट
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक 19.06.2017को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा
19/6/17

मूल वाद मे डिक्री

(आदेश 20 रूल्य 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सयपुर जिला भीलवाड़ा (राज०)

पीठासीन अधिकारीः–श्री साधुराम जाट, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः– 17/15 वाद पत्र

उनवान

1–मांगु आत्मज छोगा गुर्जर निवासी गलवा । चावण्डखेडा। तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा(राज.)

वादी

बनाम

1–सोहनलाल आत्मज पोखर बलाई निवासी चावण्डखेडा । गलवा। तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

प्रतिवादी

वाद पत्र अंतर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत स्थाई निषेधाज्ञा

यह मुकदमा वास्ते इन फिसान कतई रूबरू हमारे बहाजरी वाद वादी आदेश किया जाता है कि प्रतिवादी वादी की कृषि भूमि जो ग्राम गलवा तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में वादी के कब्जे काश्त एवं खातेदारी अधिकारों की आराजी संख्या 706 रकबा 0.13 है0, 717 रकबा 0.78 है0, 719 रकबा 0.59 है0, 720 रकबा 0.41 है0, 802 रकबा 0.23 है0, 999 रकबा 1.08 है0, 1000 रकबा 4.26 है0, 1001 रकबा 0.84 है0, 1003 रकबा 0.63 है0, 1015 रकबा 0.28 है0, 1044 रकबा 0.36 है0, 1096 रकबा 0.15 है0 गै0मु0 चाह, 1255 रकबा 0.21 है0, 1260 रकबा 0.17 है0, 1273 रकबा 0.31 है0 कुल किता 15 कुल रकबा 10.41 है0 भूमि स्थित है तथा उक्त वर्णित भूमि ग्राम गलवा के राजस्व खाता संख्या 239 मे वादी के नाम राजस्व रेकार्ड मे दर्ज है। वादी के कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजियात मे प्रतिवादी किसी प्रकार कि नाजायज दखलंदाजी न तो स्वयं करे न किसी अन्य से करावे तथा वादी के शांति पूर्वक कब्जे काश्त मे किसी प्रकार का व्यवधान / बाधा उत्पन्न न तो स्वयं करे न किसी अन्य से करावें तथा कब्जे काश्त कि आराजियात से जबरन ताकत के बल पर बेदखल नही करे न अन्य से करावे। इस आशय कि स्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध प्रतिवादी जारी कि जाती है। तदनुसार अंतिम डिक्री जारी हो। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें।

साधुराम जाट 19/6/17
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक 19.06.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

1255 रकबा 0.21 हेक्टयर,